

**थाना चाँदपुर:- दिनांक -19.11.2020**

**थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा हत्या का 01 अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र छत्रपाल, आलाकत्ल सहित गिरफ्तार ।**

**मु0अ0सं0- 654/2020 धारा -302/201 भादवि0**

**घटनास्थल-जंगल ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चाँदपुर**

**दिनांक घटना:- 16.11.2020**

**गिरफ्तारी का दिनांक:-18.11.2020 समय 19.30**

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

ओमप्रकाश पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

**फरार अभियुक्त का नाम व पता:-**

महीपाल पुत्र छत्रपाल निवासीगण ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

**अभियुक्त की निशादेही पर बरामद आलाकत्ल:-**

आलाकत्ल (छुरा)

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 16.11.2020 को वादी श्री रोहताश पुत्र नत्थवा कश्यप निवासी ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाने पर तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्तगण 1- ओमप्रकाश 2- महीपाल पुत्रगण छत्रपाल निवासीगण ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा मेरे बेटे सोनू कश्यप उम्र करीब 32 वर्ष की हत्या कर शव को जंगल ग्राम जमालुद्दीनपुर की बहती (नाला) में डाल दिया है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 654/2020 धारा 302/201 भादवि0 बनाम ओमप्रकाश व महीपाल पुत्रगण छत्रपाल पंजीकृत किया गया था।

मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना चाँदपुर पुलिस को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 18.11.2020 को अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को ग्राम जमालुद्दीनपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। घटना में संलिप्त शेष अभियुक्त महीपाल पुत्र छत्रपाल की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास जारी है।

**पूछताछ का विवरण:-**

पूछताछ में अभियुक्त ओमप्रकाश द्वारा बताया गया कि वह मूल रूप से ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर का रहने वाला है और मेरी तथा मेरे भाई महीपाल की गांव के सोनू पुत्र रोहताश से पुरानी रंजिश थी। सोनू बहती (नाला) पर मछली पकड़ने जाता था। हम दोनों भाईयों ने एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से मौका देखकर दिनांक 16.11.2020 को समय करीब 06.00 बजे शाम रतन जाटव के गन्ने के खेत जंगल ग्राम जमालुद्दीनपुर में छुरे से गोदकर हत्या कर दी थी तथा शव को घसीट कर बहती (नाला) में डाल दिया था और हम दोनों भाईयों ने घटना के समय जो कपडे पहन रखे थे वहीं पर जलाकर राख पानी में बहा दी थी तथा आलाकत्ल छुरा को बहती के किनारे खड़े पोपलर के पेड़ की जड़ में गन्ने की पत्ती में छिपा दिया था।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना चाँदपुर:-**

- 1.प्र0नि0 श्री अजय कुमार
- 2.उ0नि0 श्री रामभूल सिंह
- 3.उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह
- 4.का0 1290 सचिन तोमर
- 5.का0 19 केशव सिंह



**प्रेस नोट**

**थाना चांदपुर**

**दिनांक 19.11.2020**

**थाना चाँदपुर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही में चोरी में संलिप्त 03 अभियुक्तगण, चोरी का एक लैपटॉप व 13 मोबाइल सहित गिरफ्तार ।**

**मु0अ0सं0 - 655/2020**

**धारा -380 भादवि0**

**दिनांक घटना- 09.11.2020**

**घटनास्थल:-वीरोपुर की**

**फैक्ट्री के पास जलीलपुर**

**दिनांक गिरफ्तारी- 19.11.2020 समय-08.45**

**गिरफ्तारी-स्थल- हस्तिनापुर तिराहा**

**थाना चांदपुर ।**

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

- 1- मौ0 इमरान पुत्र मौ0 युसुफ निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- वसीम पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- साबिर पुत्र युसुफ निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

**अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-**

- 1- एक लैपटॉप (LENOVO )
- 2- 13 मोबाइल

(Motorola-1, Lenovo-1, Otho-4, Lava-3, I-Tell-2, Cellcore-1, MI-1)

**आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण साबिर व इमरान:-**

- 1.मु0अ0सं0 655/20 धारा 380 /411भादवि0 थाना चांदपुर बनाम मौ0 इमरान आदि 03 नफर उपरोक्त ।
- 2.मु0अ0सं0 644/17 धारा 457/380 भादवि0 थाना चांदपुर बनाम साबिर उपरोक्त ।
- 3.मु0अ0सं0 25/18 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना चांदपुर बनाम साबिर उपरोक्त ।
- 4.मु0अ0सं0 489/18 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना चांदपुर बनाम साबिर उपरोक्त ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 17.11.2020 को वादी श्री जोगेश कुमार पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मीरापुर थाना चांदपुर ने अज्ञात चोरो द्वारा अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से लैपटॉप लिनोवो कम्पनी तथा 13 मोबाइल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाने पर मु0अ0सं0 655/2020 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत कराया ।

मेरे द्वारा उक्त चोरी की घटना के दृष्टिगत थाना चाँदपुर पुलिस व स्वाट टीम को घटना का शीघ्र अनावरण करने के दिशा निर्देश दिये गये थे । इसी क्रम में थाना चाँदपुर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा आज दिनांक 19.11.2020 को अभियुक्तगण 1- मौ0 इमरान पुत्र मौ0 युसुफ निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2- वसीम पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3- साबिर पुत्र युसुफ निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को हस्तिनापुर तिराहा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर से 01 लैपटॉप व 13 मोबाइल सहित गिरफ्तार किया । अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

### पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम तीनों मूल रूप से कस्बा चांदपुर के रहने वाले हैं तथा साथ ही मिलकर रात्री में एकांत में बनी दुकानो/मकानो में चोरी करते हैं । दिनांक 9/10.11.2020 की रात्रि में करीब 01.00 बजे हम तीनों ने मिलकर चांदपुर से जलीलपुर रोड पर बीरोपुर फैक्ट्री के पास पहुंचे और एक मोबाइल की दुकान का सटर खींचकर उसके अन्दर से 13 मोबाइल व एक लैपटॉप चोरी कर लिया था ।

**गिरफ्तारी टीम थाना चांदपुर:-** 1.उ0नि0 श्री धीरज सिंह 2.का0 419 प्रेम सिंह 3.का0 1099 पंकज कुमार 4.का0 277 अमित कुमार 5.का0 412 आदेश कुमार

**स्वाट टीम:-** 1.उ0नि0 श्री मनोज परमार 2.उ0नि0 श्री संजय कुमार 3.का0 1579 रहीस अहमद 4.का0 895 रणजीत मलिक 5.का0 891 सुनित कुमार 6.का0 952 विकास वैसला । 7. का0 मौ0 खालिद ।

**गिरफ्तारी व बरामदगी टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार राशि - 10,000/- रुपये**



थाना नजीबाबाद पुलिस व उ0प्र0 एसटीएफ की टीम के संयुक्त प्रयास से थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 356 / 2017 में वांछित चल रहे 50,0000 /रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कासिम की गिरफ्तारी के संबंध में।

मु0अ0सं0-356 / 2017 धारा- 395 / 397 / 412 भादवि बनाम- कासिम आदि  
दिनांक घटना-29 / 30.04.2017 समय- घटना स्थल- बीसलपुर थाना क्षेत्र  
दिनांक गिर0 / बरा0-19.11.2020 समय- 13:50 बजे गि0 / बरा0 स्थल- जलालाबाद फलाईओवर के नीचे  
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कासिम पुत्र बहादुर निवासी रूदपुर थाना कोतवाली खीरी जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी-

01 तमंचा 315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-603 / 2020 धारा-3 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम कासिम

अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0-356 / 2017

धारा-395 / 397 / 412 भादवि, थाना बीसलपुर बनाम कासिम

2-मु0अ0सं0-603 / 2020

धारा-3 / 25 शस्त्र अधिनियम, थाना नजीबाबाद बनाम कासिम

नोट- अभियुक्त कासिम उपरोक्त के अन्य अपराधिक इतिहास के बारे में आस-पास के जनपदों से जानकारी की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त कासिम पुत्र बहादुर उपरोक्त ने अपने सह-अभियुक्तगण 1-मकदूम पुत्र बशीर बंजारा निवासी हासिम टांडा कस्बा व थाना खीरी, जनपद लखीमपुर खीरी 2-सलमान उर्फ सुलेमान पुत्र कमलू निवासी सलामत का भट्टा थाना धीरा, जनपद लखीमपुर खीरी 3-यूसुफ पुत्र आलिम 4-बबलू पुत्र सरफू 5-कालू उर्फ कल्लू उर्फ नसीमुददीन पुत्र सरफूदीन निवासीगण कस्बा व थाना गजरौला, जनपद पीलीभीत के साथ मिलकर 29 / 30.04. 2017 की रात्रि को थाना बीसलपुर क्षेत्र के एक घर में डकैती डालकर 98,000 /रूपये व सोन, चांदी के जेवरात लूट लिये थे। जिसके संबंध में थाना बीसलपुर पर मु0अ0सं0 356 / 2017 धारा 395 / 397 / 412 भादवि बनाम कासिम आदि 06 नफर पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण मकदूम, सलमान, यूसुफ, बबलू व कालू उर्फ कल्लू उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त कासिम उपरोक्त तब से ही फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध धारा 82 / 83 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा चुकी है तथा अभियुक्त कासिम उपरोक्त को फरार घोषित कराकर पुलिस उप-महानिरीक्षक बरेली जोन बरेली द्वारा 19.11.2020 को 50,000 /रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

उ0प्र0 एसटीएफ की टीम को मुखविर द्वारा सूचना मिली थी कि अभियुक्त कासिम उपरोक्त के बेटे ने कस्बा जलालाबाद में ब्रहस्पति बाजार में दुकान लगा रखी है। अभियुक्त कासिम अपने बेटे से मिलने दुकान पर आयेगा। प्रभारी उ0प्र0 एसटीएफ द्वारा थाना प्रभारी नजीबाबाद पुलिस के सहयोग हेतु सम्पर्क किया और थाना पुलिस के सहयोग से मुखविर की निशादेही पर आज दिनांक 19.11.2020 को फरार / पुरस्कार घोषित अभियुक्त कासिम उपरोक्त को थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत कस्बा जलालाबाद फलाईओवर के नीचे से समय 13:50 बजे 01 तमंचा 315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

थाना टीम- 1-उ0नि0 श्री जनप्रिय गौड 2-आरक्षी 1846 टींकू रावल

उ0प्र0 एसटीएफ टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री अजयपाल सिंह 2-मु0आ0 श्री जगवीर सिंह 3-मु0आ0 मौअज्जम अली 4-मु0आ0 श्री रामजीलाल 5-आरक्षी संजीव कुमार 6-नरेन्द्र राणा कंमाडो



प्रेस नोट:-

**(ईंट भट्टों पर महिला श्रमिकों की सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे 15 दिवसीय विशेष अभियान के संबध में)**

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ईंट भट्टों पर कार्यरत महिला श्रमिकों की सुरक्षा के संबध में दिनांक 30.11.2020 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

- ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों, विशेषकर महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।
- ईंट भट्टा मालिक का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये कि वह ईंट भट्टे पर इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे महिला श्रमिकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- ईंट भट्टे पर रात्रि में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहे व श्रमिकों के आवास इस प्रकार निर्मित हों कि उनकी सुरक्षा समुचित रूप से की जा सके।
- भट्टों पर अवैध शराब न बनने पायें। किसी भी भट्टे पर ऐसा पाये जाने पर संबधित भट्टा मालिक के विरुद्ध तत्काल विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त अभियान के तहत पुलिस राजपत्रित अधिकारी व राजस्व अधिकारियों के साथ थाना प्रभारियों को शासन के निर्देशानुसार प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

**थाना मण्डावली:-** आज दिनांक 19.11.2020 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभियुक्त यादराम पुत्र सुरजीत सिंह निवासी ग्राम टांडा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 221/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



**थाना कोतवाली देहात:-** आज दिनांक 19.11.2020 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगण 1- आदेश पुत्र सुखदेव 2- उदेश पुत्र सुखदेव 3- दीपक पुत्र सुखदेव 4- रविन्द्र कुमार पुत्र कैलाश निवासीगण ग्राम लल्ला वाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



# जनपद बिजनौर दिनांक-19.11.2020



आज दिनांक 19.11.2020 थाना चांदपुर पुलिस द्वारा श्रीमती कमलेश सैनी इंटर कॉलेज चांदपुर में जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानों पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



आज दिनांक 19.11.2020 थाना कोतवाली शहर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



आज दिनांक 19.11.2020 थाना धामपुर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



आज दिनांक 19.11.2020 थाना कोतवाली देहात पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



आज दिनांक 19.11.2020 थाना शेरकोट पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा पी0जी0एम0 इंटर कॉलेज कस्बा शेरकोट मे उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



आज दिनांक 19.11.2020 थाना मण्डावली पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।





आज दिनोंक 19.11.2020 एंटी रोमियो टीम की जिला प्रभारी द्वारा कैरियर फस्ट कोचिंग सेंटर मे जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।





आज दिनांक 19.11.2020 थाना शिवाला कला पुलिस द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वात्मबल के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया

